

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.9(2)गृह-12 / कारा / 2023

जयपुर, दिनांक :

—: अधिसूचना :—

यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 9, सन् 1894) की धारा 3 की उप धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम-3 (ze) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला डूंगरपुर की तहसील-डूंगरपुर में नवनिर्मित जिला कारागृह भवन जो तहसील-डूंगरपुर के ग्राम-तीजवड़ के खसरा नं. 931 (नया) 901 / 778 (पुराना) की कुल 25 बीघा (4.05 हेक्टेकर्ट) भूमि (लगभग 40,500 वर्ग मीटर) जिसके उत्तर दिशा में मुख्य सड़क, दक्षिण दिशा में छात्रावास, पूर्व दिशा में जिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुर, पश्चिम दिशा में लोकबन्धु सोमपुरा है पर मेनवॉल के अन्दर 17,944 वर्गमीटर भूमि पर नवीन जिला कारागृह भवन निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र को राज्य सरकार एतद्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अपर्णा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.2(2)मुख्या./02/ 2019/61406 दिनांक 27.02.2023 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, डूंगरपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।